उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 2002)

THE UTTAR PRADESH GAUTAM BUDDHA UNIVERSITY ACT, 2002

(U.P. Act No. 9 of 2002)

उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2002]

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 2008

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 26, 2013

द्वारा संशोधित

[जैसा की उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने दिनांक 5 सितम्बर, 2002 को अनुमति प्रदान की तथा दिनांक 6 सितम्बर, 2002 को उ0प्र0 गजट असाधारण में प्रकाशित हुआ।]

राज्य में न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित एक विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसको निगमित करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 कहा जायेगा । **संक्षिप्त नाम**

2–(1) जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में; **परिभाषाएं**

(क) "विद्यापरिषद्" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद से है ;

(ख) "घटक महाविद्यालय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या संस्था से है ;

(ग) "तकनीकी शिक्षा परिषद्" का तात्पर्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 3 के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से है;

(घ) "दूरस्थ शिक्षा" का तात्पर्य संचार के किसी माध्यम से, यथा प्रसारण, दूर–दृश्य प्रसारण, पत्राचार पाठ्यक्रम, सैमिनार, सम्पर्क कार्यक्रम या ऐसे किसी दो या अधिक साधनों के संयोजन द्वारा शिक्षा देने से है ;

(ङ) "शिक्षा सोसाइटी" का तात्पर्य गौतमबुद्ध शिक्षा सोसाइटी, लालबहादुर शास्त्री भवन, लखनऊ से है, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रार आफ सोसाइटी उत्तर प्रदेश से रजिस्ट्रीकृत है ;

(च) "कर्मचारी" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी कर्मचारी से है और इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारिवृन्द भी है ;

(छ) "संकाय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी संकाय से है ;

(ज) "छात्र निवास" का तात्पर्य छात्रों के निवास की किसी ऐसी इकाई से है जो विश्वविद्यालय, या किसी घटक महाविद्यालय द्वारा अनुरक्षित हो या मान्यता प्राप्त हों ;

---

1. उद्देश्य व कारणों हेतु इस अधिनियम के अन्त में देखें।

(झ) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिको के पिछड़े वर्गों से है ;

(ञ) "विहित" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है ;

(ट) किसी घटक महाविद्यालय के संबंध में "प्राचार्य" का तात्पर्य घटक महाविद्यालय के प्रधान से है और इसके अन्तर्गत, जहाँ प्राचार्य न हो वहाँ उप–प्राचार्य या प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति से है ;

(ठ) "परिनियमों" और "अध्यादेशों" का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय के परिनियमों और अध्यादेशों से है ;

(ड) "अध्यापक" का तात्पर्य आचार्य, सह–आचार्य, सहायक आचार्य या ऐसे अन्य व्यक्ति से है जिसे विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में शिक्षण प्रदान करने या शोध कार्य के संचालन के लिये नियुक्त किया जाये और इसके अन्तर्गत किसी घटक महाविद्यालय का प्राचार्य भी है ;

(ढ) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन स्थापित गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय से है ;

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और इन्फारमेशन टेक्नालोजी अधिनियम, 2000 में परिभाषित शब्दों और पदों के अपने वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित हैं।

अध्याय–दो

विश्वविद्यालय और उसके उद्देश्य

विश्वविद्यालय की स्थापना

3–(1) शिक्षा सोसाइटी जिसे न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा प्रोन्नत किया जा चुका है, को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा ।

(2) शिक्षा सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगा, अर्थात् ––

(क) भूमि के उतने क्षेत्र का अधिग्रहण करेगा जितना राज्य सरकार विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आवश्यक समझती हो ;

(ख) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि का सृजन करेगा ;

(ग) विश्वविद्यालय को क्रियाशील बनाने के लिए अवस्थापना और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करेगा ;

(घ) प्रथम परिनियमावली और प्रथम अध्यादेश बनायेगा, और

(ङ) ऐसी अन्य शर्तें जैसी विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व पूरी किये जाने की अपेक्षा राज्य सरकार द्वारा की जाय ।

(3) जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि शिक्षा सोसाइटी ने उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा कर लिया है वहाँ राज्य सरकार शिक्षा सोसाइटी को विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्राधिकार प्रमाण–पत्र निर्गत करेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन प्राधिकार प्रमाण-पत्र की प्राप्ति पर शिक्षा सोसाइटी

गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के नाम से जिला गौतमबुद्धनगर के मुख्यालय पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी ।

(5) कुलाधिपति, कुलपति, व्यवस्थापक बोर्ड के सदस्य, प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद के सदस्य विश्वविद्यालय में तत्समय इस रूप में पद धारक विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय गठित करेंगे ।

(6) उपधारा (4) के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना पर शिक्षा सोसाइटी द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए अधिग्रहीत, सृजित, व्यवस्थिति या निर्मित और अन्य जंगम और स्थावर सम्पत्तियॉ विश्वविद्यालय को स्थानान्तरित और उसमें निहित हो जायेंगी।

किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति न होना

4–विश्वविद्यालय में घटक महाविद्यालय हो सकते हैं, किन्तु उसे किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति नहीं होगी ।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ

5–विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होगी, अर्थात् :––

(क) विद्या की सभी शाखाओं में शिक्षण की व्यवस्था करना और शोध कार्यों और ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना ;

(ख) उपाधियों या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं को संस्थित और प्रदान करना ;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उन्हें उपाधियों या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं स्वीकृत और प्रदान करना, जिन्होंने :–

(एक) विश्वविद्यालय में या किसी घटक महाविद्यालय में या किसी दूरस्थ शिक्षा के अधीन किसी शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो ; या

(दो) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में या किसी दूरस्थ शिक्षा के अधीन शोध कार्य किया हो ;

(घ) परिनियमों में अधिकथित रीति से और शर्तों के अधीन मानद उपाधियाँ या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना ;

(ङ) परिनियमों के अनुसार अधिछात्रवृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, छात्र सहायता वृत्तियाँ तथा पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना,

(च) ऐसी फीस और प्रभार को मांगना और प्राप्त करना जो, यथास्थिति, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा नियत किये जायें ;

(छ) सूचना प्रौद्योगिकी और सहबद्ध क्षेत्रों में शिक्षा की अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था करना ;

(ज) छात्रों और कर्मचारियों के लिए पाठयेतर क्रिया–कलापों की व्यवस्था करना ;

(झ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करना ;

(ञ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के प्रयोजनार्थ उपकृतियाँ, संदान और दान प्राप्त करना और न्यास और विन्यास की सम्पत्तियों को सम्मिलित करते हुए किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अधिग्रहण, धारण, प्रबन्ध और निस्तारण करना ;

(ट) छात्र निवासों को संस्थित और अनुरक्षित करना और विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के छात्रों के लिए निवास स्थानों को मान्यता देना ;

(ठ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के छात्रों के निवास का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और उनमें अनुशासन को विनियमित करना ओर उनके स्वास्थ्य सुधार के लिए व्यवस्था करना ;

(ड) प्रशासकीय, लिपिक वर्गीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना ;

(ढ) अन्य विश्वविद्यालयों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए सहकार्य या सहयोग करना जिन्हें विश्वविद्यालय समय–समय पर अवधारित करें ;

(ण) दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था करना ;

(त) अध्यापकों, मूल्यांककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, अभिविन्यास पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं, विचार गोष्ठियाँ और अन्य कार्यक्रम आयोजित करना और उनका संचालन करना ;

(थ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में प्रवेश के मानक अवधारित करना ;

(द) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को अधिकथित करना ;

(ध) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर उधार लेना ;

(न) विश्वविद्यालय के उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए तथा आवश्यक ऐसे सभी अन्य कार्य करना, चाहें वे उपर्युक्त शक्तियों के आनुषांगिक हो या न हों ।

विश्वविद्यालय में सभी वर्गों, मतों और लिंग की पहुँच होगी

6–विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए होगा भले ही वे किसी वर्ग, मत या लिंग के हों ;

प्रतिबन्ध यह है कि विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये 23 प्रतिशत और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27 प्रतिशत सीट आरक्षित रखेगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय द्वारा किसी भी शिक्षण पाठ्यक्रम में परिनियमों द्वारा अवधारित संख्या से अधिक छात्र प्रविष्टि करने की अपेक्षा है ।

छात्रों का निवास

7– ऐसे छात्र से, जो दूरस्थ शिक्षा द्वारा शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन करता है, भिन्न विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र सामान्यतः छात्र निवास में ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन निवास करेगा जैसा अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाय ।

अध्याय–तीन

विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

8–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे : ––

(क) कुलाधिपति ;

(ख) कुलपति ;

(ग) प्रति–कुलपति ;

(घ) संकायों के संकायाध्यक्ष,

(ङ) कुल सचिव ;

(च) वित्त अधिकारी ; और

(छ) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें ।

कुलाधिपति

9–(1) उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री, विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति होंगे ।

(2) कुलाधिपति अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा ।

(3) कुलाधिपति को ऐसी शक्तियाँ होंगी जो उसे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा प्रदान की जाये ।

(4) कोई मानक उपाधि या विशिष्टता प्रदान करने का प्रस्ताव कुलाधिपति की पुष्टि के अध्यधीन होगा ।

(5) कुलाधिपति, यदि उपस्थित हों, तो उपाधियाँ प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा और वह विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को, अपनी ऐसे शक्तियाँ, जैसी वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

कुलपति

10–(1) कुलपति, उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार गठित समिति द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से [1][तीन वर्ष] की अवधि के लिये ऐसे निबंधनों और शर्तो पर जो विहित किये जायें, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा ।

[2][(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :––

(क) कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट एक व्यक्ति ;

(ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या भारतीय प्रबंधकीय संस्थान का निदेशक (पदारूढ़ या सेवानिवृत्त) प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार ;

(ग) औद्योगिक विकास आयुक्त या यथास्थिति, प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ;

(घ) व्यवस्थापक बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति, जिनमें से एक को व्यवस्थापक बोर्ड द्वारा समिति के संयोजक के रूप में भी नियुक्त किया जायेगा और यदि खण्ड (क) (ख) और (ग) में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति का नहीं है तो इस खण्ड के अधीन नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों में से कम से कम एक व्यक्ति अनुसूचित जाति से होगा ।]

(3) समिति योग्यता के आधार पर, कुलपति का पद धारण करने के लिए उपयुक्त तीन व्यक्तियों के नामों का एक पैनल तैयार करेगी और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षिक

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 2013 की धारा 2 (क) द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 2008 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

अर्हताओं और अन्य विशिष्टायों को दर्शाते हुए एक संक्षिप्त विवरण के साथ उसे कुलाधिपति को अग्रसारित करेगी ।

[1][(3–क) (क) केवल ऐसा व्यक्ति कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है ;

(ख) कुलपति अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि तक अथवा अड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा;]

(4) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और वह विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा ।

(5) जहां अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके संबंध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कर्यवाही न की जा सके तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की तत्काल रिपोर्ट वह कुलाधिपति और ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को भी देगा जो सामान्य क्रम में उस मामले के संबंध में कार्यवाही करते :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उसमें परिनियमों या अध्यादेशों से कोई विचलन हो तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के बिना कुलपति कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकेगा जो या तो कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकेगा या उसे निष्प्रभावी कर सकेगा या उसे ऐसी रीति से उपान्तरित कर सकेगा जिसे वह ठीक समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही यथास्थिति प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित रूप में प्रभावी होगी, किन्तु ऐसे किसी निष्प्रभावीकरण या उपान्तर से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, ऐसी कार्यवाही के विरूद्ध उस दिनांक से जब उसे ऐसी कार्यवाही के सम्बन्ध में विनिश्चय से संसूचित किया जाय, तीन माह के भीतर प्रबन्ध बोर्ड को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त प्रबन्ध बोर्ड, कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही को पुष्ट, उपान्तरित या उसे उलट सकेगा ।

(6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा अधिकथित किये जायें ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 2013 की धारा 2(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1] [(7) यदि कुलाधिपति की राय में कुलपति जान–बुझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नही करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरूपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है तो कुलाधिपति ऐसी जांच करने के पश्चात जैसा वह उचित समझे, आदेंश द्वारा, कुलपति को हटा सकते है।]

(8) उपधारा (7) में निर्दिष्ट किसी जांच के विचाराधीन रहने के दौरान या ऐसी जांच के अनुध्यात रहते हुए कुलाधिपति यह आदेश दे सकते है कि जब तक अग्रतर आदेश न दिया जाय ––

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कार्य संचालन से विरत रहेगा, किन्तु उसे वह उपलब्धियां प्राप्त होती रहेंगी जिनके लिए यह अन्यथा हकदार था ;

(ख) कुलपति पद के कार्य का संचालन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।]

प्रति–कुलपति

11–प्रति–कुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए की जा सकेगी जो विहित किये जायें ।

संकायों के संकायध्यक्ष

12–संकायों के संकायध्यक्षों की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए की जा सकेगी, जो विहित किये जायें ।

कुल सचिव

13–[2] [(1) कुलसचिव की नियुक्ति प्रबन्ध बोर्ड द्वारा ऐसी रीति से और ऐसे निबन्धनों और शर्तो पर की जायेगी जैसी विहित की जाय।]

(2) कुल सचिव विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा ।

(3) कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किये जाये या कुलाधिपति या कुलपति द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हों।

(4) कुल सचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्यक अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा और वह कुलाधिपति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष ऐसी समस्त सूचना और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा जो उनके सम्पादन के लिए आवश्यक हों ।

वित्त अधिकारी

[3][**14**–वित्त अधिकारी प्रबन्ध बोर्ड द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किया जायेगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेगा जैसी विहित की जाये या कुलाधिपति, कुलपति या कुलसचिव द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हों ।]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 2013 की धारा 2(ग) द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 2008 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 2008 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

15–विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, सेवा की निबन्धन और शर्तें और शक्तियां और कर्तव्य ऐसी होगी जैसी विहित की जायें। **अन्य अधिकारी**

अध्याय–चार

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

16– विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात् :–– **विश्वविद्यालय के प्राधिकारी**

(क) व्यवस्थापक बोर्ड ;

(ख) प्रबन्ध बोर्ड ;

(ग) विद्या परिषद् ;

(घ) वित्त समिति ; और

(ङ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जाए ।

17–(1) व्यवस्थापक बोर्ड में निम्नलिखित होंगे :–– **व्यवस्थापक बोर्ड और उसकी शक्तियाँ**

[1][(क) अध्यक्ष, गौतमबुद्ध शिक्षा सोसायटी, जो उसका अध्यक्ष होगा।]

(ख) कुलपति जो सदस्य–सचिव होगा ;

(ग) शिक्षा सोसाइटी द्वारा नाम–निर्दिष्ट तीन व्यक्ति, जिसमें से एक अनुसूचित जातियों से व एक नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से होगा ;

(घ) औद्योगिक विकास विभाग में राज्य सरकार का सचिव या उसका नाम निर्देशिती जो राज्य सरकार के विशेष सचिव से निम्न श्रेणी का न हो ; और

(ङ) दो शिक्षाविद, जिनमें से एक प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा और अन्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नाम–निर्दिष्ट होगा ।

(2) व्यवस्थापक बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रशासनिक निकाय होगा और उसकी निम्नलिखित शक्तियां होगी, अर्थात् : ––

(क) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के विनिश्चयों का यदि वे इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुरूप न हो, पुनर्विलोकन करना ;

(ख) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदित करना ;

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियों का निर्धारण करना ;

(घ) नए या अतिरिक्त परिनियमों को बनाना या प्रथम परिनियमों को संशोधित या निरसित करना ;

(ड़) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक समापन के संबंध में विनिश्चय करना ; और

(च) राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तावों को अनुमोदित करना।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 2008 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(3) व्यवस्थापक बोर्ड समय–समय पर ऐसे अन्तरालों पर जो छः माह से अधिक नहीं होगा, ऐसे समय और स्थान पर जैसा कुलाधिपति उचित समझे, बैठक करेगा।

प्रबन्ध बोर्ड

18–(1) प्रबन्ध बोर्ड में निम्नलिखित होंगे :–

(क) कुलपति ;

(ख) प्राविधिक शिक्षा परिषद का एक नामनिर्देशिती ;

(ग) शिक्षा सोसाइटी द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन व्यक्ति, जिसमें से एक अनुसूचित जातियों से और एक नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से होगा ;

(घ) विश्वविद्यालय के तीन आचार्य, प्रत्येक भिन्न–भिन्न क्षेत्रों से, ज्येष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम से ;

(ड़) प्रत्येक संकाय से एक आचार्य, जो कुलाधिपति द्वरा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा; और

(च) औद्योगिक विकास विभाग में राज्य सरकार का सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो राज्य सरकार के संयुक्त सचिव से भिन्न श्रेणी का न हो ।

(2) कुलपति प्रबन्ध बोर्ड का अध्यक्ष होगा ।

(3) कुल सचिव प्रबन्ध बोर्ड का सचिव होगा ।

(4) प्रबन्ध बोर्ड की शक्तियाँ एवं कृत्य वही होंगे जो विहित किये जायें ।

विद्या परिषद

19–(1) विद्या परिषद में निम्नलिखित होंगे : ––

(क) कुलपति, जो अध्यक्ष होगा ;

(ख) कुल सचिव, जो सचिव होगा ; और

(ग) ऐसे अन्य सदस्य जो विहित किये जायें ।

(2) विद्यापरिषद विश्वविद्यालय की मुख्य शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम, नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों में समन्वय स्थापित करेगी और उनका पर्यवेक्षण करेगी ।

वित्त समिति

20–(1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे : ––

(क) कुलपति, जो अध्यक्ष होगा ;

(ख) वित्त अधिकारी ;

(ग) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट राज्य सरकार के विशेष सचिव से अनिम्न श्रेणी का एक अधिकारी ; और

(घ) ऐसे अन्य सदस्य जो विहित किये जायें।

(2) वित्त समिति विश्वविद्यालय की प्रमुख वित्तीय निकाय होगी जो वित्तीय मामलों की देखभाल करेगी और इस अधिनियम के उपबन्धों, नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों के अध्यधीन रहते हुए समन्वय स्थापित करेगी और विश्वविद्यालय के वित्तीय मामलों पर सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

21–विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायें । **अन्य प्राधिकारी**

22–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि प्राधिकारी के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि विद्यमान थी। **रिक्ति के कारण कार्यवाही का अविधिमान्य न होना**

अध्याय–पांच

परिनियम और अध्यादेश

23–इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, परिनियमों में विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी विषय के लिए उपबन्ध किए जा सकेगे और विशिष्टतया निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किये जायेंगे : –– **परिनियम**

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के कार्य सम्पादन की और ऐसी इकाईयों के गठन की जो इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं की गई है, प्रक्रिया ;

(ख) स्थाई विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि की संक्रिया ;

(ग) कुलपति, कुल सचिव और वित्त अधिकारी की नियुक्ति की निबन्धन और शर्ते और उनकी शक्तियाँ एवं कृत्य ;

(घ) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों की भर्ती की रीति और सेवा की शर्ते ;

(ङ) विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियों, संकाय के सदस्यों कर्मचारियों और छात्रों के मध्य विवादों के संकल्प की प्रक्रिया ;

(च) विभागों और संकायों का सृजन, समापन और उनकी पुनर्संरचना ;

(छ) अन्य विश्वविद्यालयों या उच्चतर ज्ञान की संस्थाओं के साथ सहयोग की रीति;

(ज) मानद् उपाधियों को प्रदान करने की प्रक्रिया ;

(झ) विद्यावृत्तियों और छात्रवृत्तियों की स्वीकृति के संबंध में उपबन्ध ;

(ञ) विभिन्न शिक्षण पाठ्यक्रमों में स्थानों की संख्या और ऐसे पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश की जिसमें स्थानों का आरक्षण भी सम्मिलित है, प्रक्रिया ;

(ट) विभिन्न शिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए छा़त्रों से प्रभार्य शुल्क ;

(ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, फीस माफी, पदकों और पारितोषिकों को संस्थित करना ;

(ड) पदों के सृजन और समापन की प्रक्रिया ; और

(ढ) अन्य मामले जिन्हें विहित किया जाना हो या जो विहित किये जायें ।

24–प्रथम परिनियम शिक्षा सोसाइटी द्वारा बनाए जायेंगे और इस प्रकार बनाए गये परिनियमों को राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा जो उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अपना अनुमोदन दे सकेगी। **प्रथम परिनियम कैसे बनाए जायेंगे**

25–व्यवस्थापक बोर्ड, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा । **परिनियम में संशोधन करने की शक्ति**

26–इस अधिनियम नियमों और परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात् : –– **अध्यादेश**

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश तथा उनका नामांकन होना और इस रूप में बना रहना ;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों और अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताओं के लिए निर्धारित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम ;

(ग) उपाधियों तथा अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताओं को प्रदान करना ;

(घ) अधिछात्रवृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, पदक तथा पारितोषिक प्रदान करने की शर्तें ;

(ङ) परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षा निकायों, परीक्षकों, अन्तरीक्षकों सारणीकारों तथा अनुसीमकों की नियुक्ति की शर्तें और नीति तथा उनके कर्तव्य ;

(च) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताओं में प्रवेश के लिए ली जाने वाली फीस ;

(छ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में छात्रों के निवास की शर्तें ;

(ज) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना ; और

(झ) अन्य सभी विषय जिनके लिए इस अधिनियम नियमों या परिनियमों द्वारा अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध किये जायें ।

27–(1) प्रथम अध्यादेश शिक्षा सोसाइटी द्वारा बनाया जायेगा और इस प्रकार बनाये गये अध्यादेश राज्य सरकार को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा जो प्रथम अध्यादेश की प्राप्ति के दिनांक से दो माह के भीतर उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अपना अनुमोदन दे सकेगी । **प्रथम अध्यादेश**

(2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रथम अध्यादेश के अनुमोदन के संबंध में कोई विनिश्चय करने में असफल रहती है वहाँ यह समझा जाएगा कि राज्य सरकार ने प्रथम अध्यादेश को अनुमोदित कर दिया है ।

28–राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, विद्यापरिषद, प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन से, नये या अतिरिक्त अध्यादेश बना सकेगी या अध्यादेशों को संशोधित या निरसित कर सकेगी । **अध्यादेशों को संशोधित करने की शक्ति**

अध्याय–छः
प्रकीर्ण

29–[1][(1) प्रथम चरण में प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति एक लिखित संविदा के अधीन की जायेगी जो विश्वविद्यालय के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जायेगी।] **कर्मचारियों की सेवा शर्तें**

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 2008 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद, कर्मचारी के अनुरोध पर माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसमें प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नियुक्त एक सदस्य, संबंधित कर्मचारी द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होंगे।

(3) ऐसे मामले में अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(4) अधिकरण के कार्य को विनियमित करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

छात्रों के विरूद्ध अनुशासनिक मामलों में अपील की प्रक्रिया और माध्यस्थम्

30–(1) किसी परीक्षा के लिए कोई ऐसा छात्र या अभ्यर्थी, जिसका नाम यथास्थिति कुलपति या प्राचार्य के आदेश द्वारा या विद्यापरिषद् के संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय की नामावली से हटा दिया गया हो और जो एक वर्ष से अधिक के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होने से विवर्जित किया गया हो, वह ऐसे आदेश या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर प्रबन्ध बोर्ड को अपील कर सकेगा जो यथास्थिति कुलपति, विद्यापरिषद् या प्राचार्य के विनिश्चय को पुष्ट, उपान्तरित या उलट सकेगा।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा किसी छात्र के विरूद्ध की गयी अनुशासनिक कार्यवाही से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद ऐसे छात्र के अनुरोध पर, माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा और धारा 29 की उपधारा (2) से (4) तक के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, इस उपधारा के अधीन किये गये किसी निर्देश पर लागू होंगे।

अपील करने का अधिकार

31–विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या किसी ऐसे महाविद्यालय के प्राचार्य के विनिश्चय के विरूद्ध प्रबन्ध बोर्ड को, ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाये, अपील करने का अधिकार होगा और उस पर प्रबन्ध बोर्ड ऐसे विनिश्चय को, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, पुष्ट, उपान्तरित या उलट सकेगा।

भविष्य एवं पेंशन निधि

32–विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तो के अध्यधीन रहते हुए जो विहित की जायं, ऐसी भविष्य या पेंशन निधियों का गठन करेगा और ऐसी बीमा स्कीमों की व्यवस्था करेगा जैसी वह उचित समझे ।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद

33–यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है, तो वह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

समितियों का गठन

34–जहाँ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को, इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन, समितियाँ नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गयी हो, वहाँ ऐसी समितियों में, अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बन्धित प्राधिकारी का कोई या समस्त सदस्य या ऐसे अन्य व्यक्ति, यदि कोई हो, जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे, सम्मिलित होंगे।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

35–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायेगी जिस रीति से वह

सदस्य जिसकी रिक्ति की पूर्ति करना हो, चुना गया हो, और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा जिसके लिए वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता।

सद्भावनापूर्व की गई कार्यवाही के लिये संरक्षण

36–कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम, परिनियमो या अध्यादेशों के उपबन्धों में से किसी के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई है या की जाने के लिए तात्पर्यित है, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध संस्थित नही होगी।

अस्थायी उपबन्ध

37–इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों या परिनियमों में किसी बात के होते हुये भी,–

(क) प्रथम कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जायेगी और उक्त अधिकारी पाँच वर्ष की अवधि के लिये पदधारण करेगा ;

(ख) प्रथम कुल सचिव और प्रथम वित्त अधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जायेगी जो तीन वर्ष की अवधि के लिये पदधारण करेंगे ;

(ग) प्रथम व्यवस्थापक बोर्ड में ग्यारह से अनधिक सदस्य होंगे जो कुलाधिपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट किये जायेंगे और वे तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे ; और

(घ) प्रथम प्रबन्ध बोर्ड, प्रथम वित्त समिति और प्रथम विद्या परिषद् का गठन, कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा।

स्थायी विन्यास निधि

38–(1) विश्वविद्यालय कम से कम दस करोड़ रूपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा जिसे राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, इस निमित्त जारी अधिसूचना द्वारा बढ़ाया जा सकेगा।

(2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, निवेश करने की शक्ति होगी ;

(3) विश्वविद्यालय, सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि को अन्तरित कर सकेगा ;

[1][(4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से निकाली जा सकेगी जो विश्वविद्यालय के आवर्ती/अनावर्ती व्ययों को पूरा करने के लिए सामान्य निधि के नामे डाली जायेगी।]

सामान्य निधि

39–(1) विश्वविद्यालय एक सामान्य निधि की स्थापना करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात् : ––

(क) सभी फीस, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाय ;

(ख) किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि ;

(ग) शिक्षा सोसाइटी द्वारा किये गये सभी अंशदान ; और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान।

(2) सामान्य निधि मे ंजमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्यय के लिये किया जायेगा।

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 2008 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।

विकास निधि

40–(1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात् :––

(क) विकास फीस, जिसे छात्रों से प्रभारित किया जाय ;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिये किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि ;

(ग) शिक्षा सोसाइटी द्वारा किये गये सभी अंशदान ;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान ;

(ङ) [1][X X X]

(2) विकास निधि में समय–समय पर जमा की गई धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा ।

निधि का अनुरक्षण

41–धारा 38, 39 और 40 के अधीन स्थापित निधियों को व्यवस्थापक बोर्ड के सामान्य पर्यवेक्षण और नियन्त्रण के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी रीति से, विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा जैसी विहित की जाय ।

वार्षिक प्रतिवेदन

42–(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रबन्ध बोर्ड के निदेर्शों के अधीन तैयार किया जायेगा और उसे व्यवस्थापक बोर्ड को अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) व्यवस्थापक बोर्ड, अपनी बैठक में वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करेगा और उसे उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अनुमोदन करेगा ।

(3) व्यवस्थापक बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी ।

लेखा और संपरीक्षा

43–(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन–पत्र प्रबन्ध बोर्ड के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्त्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत या प्राप्त समस्त धनराशि और ऐसी समस्त धनराशि की जिनका वितरण या संदाय किया गया है, विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित लेखों में प्राविष्टि की जायेगी।

(2) विश्वविद्यलाय के वार्षिक लेखा और तुलन–पत्र की सम्परिक्षा ऐसे सम्परिक्षक द्वारा और ऐसे अन्तराल पर की जायेगी, जैसी विहित की जाये।

(3) सम्परीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक लेखा और तुलन–पत्र की एक प्रति व्यवस्थापक बोर्ड को प्रस्तुत की जायेगी।

(4) व्यवस्थापक बोर्ड द्वारा वार्षिक लेखा, तुलनपत्र और सम्परीक्षा प्रतिवेदन पर अपनी बैठक में विचार किया जायेगा और व्यवस्थापक बोर्ड उस पर अपने संप्रेक्षण के साथ उसे राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति

44–विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक रूप से अनुरक्षित किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रति,

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 2008 की धारा 8 द्वारा निकाला गया ।

यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित हो तो उसे ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या रजिस्टर में प्रविष्टि होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायेगी और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार के लिये साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गयी होती हो वह साक्ष्य में ग्राह्य होती ।

शिक्षा सोसाइटी का विघटन

45–(1) शिक्षा सोसाइटी राज्य सरकार को कम से कम छः माह की लिखित नोटिस देगा यदि कि वह अपने गठन और निगमन को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार शिक्षा सोसाइटी के विघटन के दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने शिक्षण पाठ्यक्रमों को ऐसी रीति से पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसी कि नियमों द्वारा विहित की जाय ।

शिक्षा सोसाइटी के विघटन के दौरान विश्वविद्यालय का व्यय

46– (1) धारा 45 के अधीन उसके प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये व्यय का वहन स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से किया जायेगा ।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि, विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये उसके प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान पर्याप्त नही है तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या आस्तियों का निस्तारण करके किया जा सकेगा ।

निर्देश जारी करने की शक्ति

47–राज्य सरकार की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात् :–

(क) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय द्वारा किये जाने के लिये अपेक्षित किसी मामले के सम्बन्ध में निर्देश जारी करना ; और

(ख) किसी विषय पर परिनियम बनाने के लिये आदेश देना ।

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय का परिसमापन

48–(1) जहाँ राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय को उसके द्वारा दिये गये किसी निर्देश का अनुपालन नही किया गया है या विश्वविद्यालय के कुप्रबन्ध के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर वह विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि ऐसे समय के भीतर जैसा वह उचित समझे ; किन्तु जो एक मास के कम नही होगा, कारण बताये कि विश्वविद्यालय का परिसमापन क्यों न कर दिया जाय ।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन दी गयी नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि प्रथम दृष्टता कुप्रबन्ध या इस अधिनियम के उपबन्धों, नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों या तद्धीन जारी किन्ही निर्देशों के उल्लंघन का मामला पाया गया है तो वह ऐसी जाँच करने का आदेश देगी जिसे वह आवश्यक समझे ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जाँच के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, जाँच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को कुप्रबन्ध, इस अधिनियम के उपबन्धों नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों या उसके अधीन जारी किन्ही निर्देशों

के उल्लंघन के अभिकथन की जाँच करने और रिपोर्ट देने के लिये नियुक्त करेगी।

(4) जहाँ राज्य सरकार के विचार से विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के सम्बन्ध में किसी जाँच के प्रयोजनों के लिये व्यवस्थापक बोर्ड या प्रबन्ध बोर्ड को निलम्बित करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह अधिसूचना द्वारा, यथा स्थिति, व्यवस्थापक बोर्ड या प्रबन्ध बोर्ड को निलम्बित करने का आदेश दे सकेगी और जाँच पूरी होने तक के लिये विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये ऐसी व्यवस्था कर सकेगी जैसी वह आवश्यक समझे।

(5) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त प्रत्येक जाँच प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करते समय किसी वाद का और विशिष्टतः निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्ति होगी, अर्थात् :—

(क) किसी साक्षी को समन करना और हाजिर होने के लिये बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसका बयान लेना ,

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना,

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की माँग करना,

(घ) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना,

(ड़) कोई अन्य मामला जो नियमों द्वारा विहित किया जाय ।

(6) यदि जाँच रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय में कुप्रबन्ध हुआ है या उसने इस अधिनियम, नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों के किन्ही उपबन्धों या उनके अधीन जारी किसी निर्देश का उल्लंघन किया है तो वह अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय का परिसमापन करने का आदेश दे सकेगी ।

(7) उपधारा (6) के अधीन किसी अधिसूचना को जारी करते समय राज्य सरकार चालू शिक्षण पाठ्यक्रम की समाप्ति तक के लिये विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रशासन के लिये अग्रतर व्यवस्था करेगी ।

(8) उपधारा (7) के अधीन विश्वविद्यालय के प्रबन्ध की अवधि के दौरान, राज्य सरकार स्थाई विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के कार्यकलापो के प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिये कर सकेगी। यदि विश्वविद्यालय की निधि, विश्वविद्यालय की अपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त नही है तो राज्य सरकार उक्त व्यय को पूरा करने के लिये विश्वविद्यालय की आस्तियों या सम्पत्तियों का व्ययन कर सकेगी ।

(9) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेगी ।

नियम बनाने की शक्ति

49–राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी ।

कठिनाईयों को दूर करना

50–(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाइयों को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नही किया जायेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र राज्य विधानमंडल के दोनो सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी भी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध मे लागू होते है ;

——————

उद्देश्य और कारण

विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, अन्तर्राष्ट्रीय विधि, बौद्ध अध्ययन में वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य और समाज के कमजोर वर्गो से सम्बन्धित विषयों की दृष्टि से एक विश्वविद्यालय की स्थापना आवश्यक हो गई है, जो विद्या की उक्त सभी शाखाओं में शिक्षण की व्यवस्था और शोध कार्यो और ज्ञान के प्रसार के लिए उपबन्ध करेगी । एक ऐसे उत्कृष्ट केन्द्र का सृजन किया जाना प्रस्तावित है जो उच्चतर स्तर की विद्या की सुविधाओं को उपबंधित और उन क्षेत्रों में शोध और संवर्धन की सुविधाओं को सुनिश्चित करेगी । गौतमबुद्ध नगर को, जहाँ पर उच्चतम स्तर की विभिन्न अब संरचनात्मक सुविधांए हैं, गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय के नाम से, ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान पाया गया । चुँकि राज्य सरकार के लिए अपने सीमित वित्तीय संसाधनों से ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना करना संभव नही था, अतएव् यह विनिश्चय किया गया कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्टर्ड गौतमबुद्ध शिक्षा सोसाइटी द्वारा प्रायोजित कर इसे स्थापित किया जाय। इस विश्वविद्यालय की अपेक्षित आवश्यक अवसंरचना के सृजन के उद्देश्य से उक्त सोसाइटी का संवर्धन न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण और बृहत्तर न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा, किया जायेगा।

तदनुसार उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 पुरःस्थापित किया जाता है।